International Journal of Applied Research 2015; 1(8): 48-50

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2015; 1(8): 48-50
www.allresearchjournal.com
Received: 22-04-2015
Accepted: 26-05-2015

सीमा
पीएच.डी, षोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विष्वविद्यालय

Correspondence:
सीमा
पीएच.डी, षोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विष्वविद्यालय

महिला अधिकारों के अग्रदूत–डॉ0 अंबेडकर

अंबेडकर ने जितने बेबाकीपन से दलितों का उद्धार किया उतनी ही तल्लीनता के साथ भारत की आधी जनसंख्या अर्थात स्त्री उद्धारक के रुप में भी अपनी भूमिका निभायी। दलितों के पश्चात वे महिला को ही सर्वाधिक उपेक्षित, अपमानित तथा प्रताड़ित जन समझते था। लिहाज़ा अंबेडकर को दलित मसीहा के साथ–साथ स्त्री मसीहा की उपमा देना गलत न होगा।अंबेडकर महिलाओं के हितों व उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील थे अतः उन्होंने महिला जीवन को प्रवाभित करने वाले लगभग सभी क्षेत्रों– शिक्षा, विवाह, परिवार नियोजन, संपति, तलाक एवं भरण–पोषण आदि को अपने चिंतन का हिस्सा बनाकर नारी मुक्ति का आह्वान किया। वास्तव में नारी मुक्ति का जो वर्तमान में महल खड़ा दिखाई देता है, उसकी नींव की ईंट अंबेडकर ही है।[1] किंतु विडम्बना यह है कि स्वतंत्रता के 67 वर्ष पश्चात भी डॉ. अंबेडकर के व्यापक महिलावादी दृष्टिकोण को न तो पर्याप्त तवज़्जो मिली तथा भारतीय नारीवादी आंदोलन भी अंबेडकर की अनदेखी कर अपना आधार यूरोप के नारीवादी चिंतन एवं मार्क्सवाद में खोजता है।[2] इस लेख के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों प्रति डॉ. अंबेडकर के प्रयासों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया है।

अंबेडकर से पूर्व महिलाओं की स्थिति

बुद्ध ने सदैव महिलाओं को सम्मान प्रदान करने एवं उनकी स्थिति को उन्नत बनाने का प्रयत्न किया। वे बौद्धिक विकास एंव चरित्र पालन किसी भी दृष्टि से महिलाओं को हीन तथा अक्षम नहीं समझते थे। बुद्ध ने स्त्रियों के लिए धर्म की शरण में आने हेतु निमित्त कौमार्य की अनिवार्यता नहीं रखी। वरन् विवाहिता, अविवाहित, वैश्या एंव विधवा सभी महिलाओं के लिए मार्ग खुला रखा। बुद्धकालीन स्त्री की स्वतंत्रता का प्रमाण स्वं मुक्ता ;ब्रहमणी भिक्षुणीद्ध के शब्दों में बयां होता है "कितना मुक्त जीवन है मेरा, और इस मुक्त जीवन के साथ कितना यश मुझे प्राप्त हो रहा है"।[3]

बुद्धकालीन स्त्री के समान कौटिल्य के समय में भी नारी को समाज में सम्मानीय दर्जा प्राप्त था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्त्रियों के विवाह एवं पुनर्विवाह और उसके भरण–पोषण से संबधित नियमों का उल्लेख मिलता है। विवाह व्यवस्था के लचीलेपन के साथ–साथ कौटिल्य ने विवाह–विच्छेद के नियम भी तय किए। उनका मानना था कि यदि स्त्री/पुरुष अपने–अपने जीवनसाथी से घृणा करते हैं तो एक–दूसरे से सहमतिपूर्वक विवाह संबधों का परित्याग कर सकते हैं। किंतु इसके लिए पुरुष को अपनी जीवनसंगनी को आर्थिक क्षतिपूर्ति करनी होगी तथा यदि स्त्री विवाह परित्याग को वरीयता देती है तो वह अपनी संपति पर कोई दावा नहीं कर सकती।[4]

बुद्ध एंव कौटिल्य के विपरित मनु स्त्रियों के प्रति नकारात्मक दृष्टि रखता था। मनुस्मृति में उल्लेखित विधानों की पुष्टि हेतु मनु ने प्राचीन कालीन धर्म–सूत्रों को आधार बनाया। मनुस्मृति के अंर्तगत प्रत्येक क्षेत्र–अध्यात्म, विवाह, विवाह–विच्छेद, भरण–पोषण में मानव जगत के प्रायः आधे हिस्से नारी जाति को उपेक्षित रखा गया। मनु ने कहा "स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार न होने के कारण उनके संस्कार वेद–मंत्रों से नहीं कराये जाते और वेदाअध्ययन न होने के कारण वे ज्ञान शून्य भी होती है। वेद–मंत्रों के अध्ययन से पाप का नाश होता है, चूंकि स्त्रियँा उनका उच्चारण नहीं कर सकती, अतः उनमें असत् का वास होता है"।[5] मनु इतने पर ही नहीं रुके तथा उन्होंने कहा एक स्त्री को सदैव अपने संबधित पुरुष, –चाहें वह पिता (बाल्यकाल), पति (युवा अवस्था) एंव पुत्र (वृद्धा अवस्था) हो, के अधीन रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस तरह ब्राह्मणवाद को सशक्त बनाने हेतु मनु ने महिलाओं को पुरुष की सहभागी नहीं वरन् दासी बना दिया।

वास्तव में मनुस्मृति में विदित विधानों में स्त्रियों का चित्रण अत्यन्त ही निम्न दर्ज़े का किया गया है। समाज की प्रगति में उसके योगदान की उपेक्षा की गयी। मनु स्त्री स्वचन्छदता के कटु आलोचक रहे और समाज के बेहतर संचालन को आधार बनाते हुए हमेशा उसकी पराधीनता की पुष्टि करते रहे। अतः कहा जा सकता है कि मनु के समय से ही नारी की स्थिति तथा अधिकारों में निरंतर ह्रास का दौर आंरभ हुआ।

अंबेड़कर द्वारा महिला अधिकारों हेतु किये गये प्रयास

वेदिक, बुद्ध एंव कौटिल्य कालीन समय का अध्ययन कर अंबेडकर ने पाया कि तीनों ही काल में राजनीति को छोड़ दें तो बौद्धिक एंव सामाजिक क्षेत्र में निःसंदेह ही स्त्री बेहतर स्थिति में थी। किंतु कालातंर में मनु के आगमन से उसकी स्थिति दयनीय होती चली गयी, जिसे लेकर अंबेड़कर बेहद ही चिन्तित थे। अंबेड़कर ने धार्मिक अंधविश्वास और धर्मशास्त्रों पर आधारित भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा का गहनता से विश्लेषण कर तत्कालीन समय में चल रहे समाज सुधार आंदोलन से आगे बढ़कर स्त्रियों को अधिकार वापस दिलाने हेतु ठोस प्रयास किये। अंबेडकर ने रीडल ऑफ वूमेन, नारी एंव प्रतिक्रांति, हिन्दू नारी का उत्थान एंव पतन जैसे लेखों के माध्यम से दिखाया कि किस तरह हिन्दू ब्राह्मणवादी व्यवस्था एंव सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों ने कृत्रिम तौर पर लिंग एंव उसके भेद का निर्धारण कर महिला को अधीनता की स्थिति में रहने के लिए बाध्य किया। यहां वे सीमोन दी बोअर के कथन 'औरत पैदा नहीं बना दी जाती है' के करीब लगते हैं। एक शोधकर्त्ता की भांति उन्होंने धर्म में स्त्री के स्थान का गूढ़ता से अध्ययन कर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया कि 'आखिर मनु ने स्त्री का पदानवत क्यों किया' ? अंबेडकर ने तर्क दिया कि बौद्ध काल में मुख्यतः दो वर्ग (स्त्री एंव शूद्र) बुद्ध के अनुयायी बन रहे थे जिससे ब्राह्मण धर्म की नींव डगमगाने लगी थी। अतः बौद्ध धर्म की निरंतर फैलती जा रही शाखाओं को रोकने हेतु मनु ने स्त्रियों की स्वंतत्रता पर निशाना साधते हुए उन्हें इससे वंचित कर उन पर इतनी अयोग्ताएँ थोप दी कि वे पूर्ण रुप से हमेशा के लिए पंगु हो गयी।

मनुस्मृति के पूर्व भी ये विधायें सामाजिक मान्यताओं के रुप में विद्यमान थीं। मनु ने मात्र इन्हें धर्मशास्त्र एंव राज्य विधान का हिस्सा बनाया और शनैं–शनैं ये विधान ही कठोर नियमों में तब्दील होकर अकाट्य होते चले गए। इन्हीं परिस्थितियों ने अंबेडकर को स्त्री चिंतन हेतु विवश किया। उन्होंने नारी के उत्थान हेतु अथक प्रयास किए जिनका वर्णन नाचे दिया जा रहा है–

- **शिक्षाः** नारी मुक्ति के वाहक डॉ. अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता तथा स्वाभिमान से जीवन जीने पर जोर देते हुए दो मूल मंत्र दिए– प्रथम, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो तथा द्वितीय 'अत्तदीपो भव' अर्थात अपना दीपक स्वं बनो।[6] उन्होंने प्रश्न उठाया कि ज्ञान और विद्या पर केवल पुरुषों का एकाधिकार क्यों ? जबकि "घर में एक पुरुष पढ़ता है तो केवल वही पढ़ता है और यदि घर में स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है"।[7] उनका मानना था कि शिक्षा ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मुक्ति प्राप्त करने का अहम् साधन है। नारी को विकास रुपी रथ का दूसरा पहिया करार देते हुए राष्ट्र की उन्नति में उनकी सहभागिता का सर्मथन किया। अंबेडकर के अनुसार "नारी राष्ट्र निर्मात्री है। राष्ट्र का हर नागरिक उसकी गोद में पलता है। नारी को जागृत किये बिना राष्ट्र का विकास असंभव है। इसलिए नारी को शिक्षित होकर राष्ट्रीय उन्नति में सहयोग करना चाहिए"।[8] शिक्षा की नींव को सशक्त करने हेतु अंबेडकर जाति, लिंग तथा धर्म सभी प्रकार के भेदभाव को नकारते हुए 6–14 वर्ष तक के सभी बच्चों को समान, अनिवार्य एवं निःशुल्क आरंभिक शिक्षा को संविधान के भाग–तीन में वर्णित मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाना चाहते थे।[9] किंतु तत्कालीन समय में पर्याप्त समर्थन के अभाव में उनका यह प्रयास अधूरा सिद्ध हुआ। 2002 में 86वें संवैंधानिक संशोधन विधेयक के माध्यम से भारतीय सरकार ने अनुच्छेद 21 (क) के तहत् 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एंव निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर मौलिक अधिकार के रुप में मान्यता प्रदान कर उनके सपने को साकार तो किया किंतु अंबेडकर के योगदान को श्रेय दिये बिना। अधिकार से आगे ले जाते हुए 86वें संवैंधानिक संशोधन के माध्यम से ही प्राथमिक शिक्षा को मौलिक कर्त्तव्यों से जोड़कर इसे माता–पिता या संरक्षक का दायित्व करार दिया। इस संवैंधानिक संशोधन के 6 वर्ष बाद केंद्र सरकार ने 2008 में इसे शिक्षा के अधिकार (त्ज्म्) में तब्दील कर दिया है।
- **विवाहः** बाल विवाह का विरोध करते हुए उचित उम्र में महिलाओं के विवाह की अंबेडकर ने पुरजोर वकालत की। विवाह जैसे मुद्दे पर भावी जीवन साथी के चयन में लैंगिक असमानता को दूर करते उन्होंने कहा "पत्नी कैसी होनी चाहिए इस बारे में पुरुषों का विचार जाना जाता है वैसे ही पति कैसा हो इस बारे में पत्नी का मत जान लेना भी जरुरी है। स्त्री भी व्यक्ति है और उसे भी व्यैक्तिक स्वंत्रता होनी चाहिए"।[10] इसके साथ ही उन्होनें महिलाओं को तलाक का अधिकार देने की भी पुरजोर वकालत की।
- **परिवार नियोजनः** भारत में प्रचलित परिवार नियोजन का नारा भले ही स्वतंत्रोपरांत का हो किंतु अंबेडकर ने इसकी अहमियत को बहुत पहले ही भांप लिया था। विशेषतः काफी हद तक यह उनके निजी जीवन के अनुभवों पर आधारित था। बच्चे ज्यादा और आय कम सयुंक्त रुप से संपूर्ण परिवार के दुख तथा दर्द का कारण बनता है। इसलिए उन्होंने बच्चे दो ही अच्छे का सुझाव दिया।[11] इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन के बेहतर क्रियान्वयन में महिलाओं को उनकी भागीदारी से अवगत कराया ताकि वे पारिवारिक दायित्वों का निर्वाहन बेहतर ढंग से कर पाये।
- **प्रसूति अवकाशः** गर्भावस्था के दौरान महिला श्रमिकों का अपने श्रम से वंचित होना अंबेडकर के लिए एक अन्य बेहद चिंतनीय समस्या थी। विकास के रथ का दूसरा पहिया होने के नाते यह आवश्क था कि महिला श्रम खोने के भय से मुक्त होकर राष्ट्र की उन्नति में सहयोग दें। चूंकि बच्चे भावी राष्ट्र के संसाधन होते हैं इसलिए आवश्क है कि प्रसवपूर्व एंव प्रसवोपरांत उनकी बेहतर परवरिश हेतु माँ को भी सहयोगी प्रस्थितियाँ प्रदान की जायें। इन्होंने कारखाना व अन्य सरकारी/गैर–सरकारी संस्थानों में कार्यरत श्रमिक महिलाओं के लिये वेतन सहित प्रसूति अवकाश का सर्मथन करते हुए 1928 में मुंबई विधानपरिषद् में प्रसव लाभ विधेयक के प्रति पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए दृढ़ता से कहा "मैं इस बात से सहमत हूँ कि इससे शासन पर भारी बोझ पड़ेगा लेकिन फिर भी मैं वेतन में कटौती का पक्षधर नहीं हूँ। यह महिलाओं का अपना अधिकार है जिसकी प्राप्ति उन्हें होनी चाहिए।"[12]

  स्वतंत्रता पूर्व अंबेडकर द्वारा व्यक्त इस दृष्टिकोण को स्वतंत्रता पश्चात् प्रसुति प्रसुविधा अधिनियम 1961, के साथ–साथ संविधान के तहत् नीति–निर्देशक सिद्धातों के अनुच्छेद 42 का हिस्सा बनाते हुए व्यवहार में लाया गया। प्रसुति प्रसुविधा अधिनियम के अंगत कोई भी नियोक्ता किसी महिला कर्मचारी को उसके प्रसव या गर्भपात के छः सप्ताह तक जान–बूझ कर कार्य स्थल पर आने को विवश नहीं कर सकता तथा अनुपस्थिति के दौरान उसे कार्य से बेदख़ल नहीं कर सकता। डॉ. अंबेडकर के इस क्रांतिकारी कदम का परिणाम यह है कि लगातार इसके बाद महिला श्रमिकों के लिए लाभकारी कानून बनने लगे। आज महिला कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं के साथ–साथ अन्य संगठित क्षेत्रों में भी मातृत्व लाभ संबधी अनेकानेक सुविधाएँ दी जा रही हैं। इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि दिनोंदिन रोज़गार से संबधित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।
- **हिन्दू कोड बिलः** डॉ. अंबेडकर का मानना था कि हिंदू शास्त्रों का सहारा लेते हुए समस्त नारी जाति के साथ चाहें वह किसी भी वर्ण की हो, पर अत्यधिक जुल्म किया गया है। अतः हिंदू कोड बिल लैंगिक भेदभाव पर आधारित पितृसत्तात्मक

ढांचे से निज़ात पाने का एक प्रयास है। अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से बहुपत्नीवाद पर निषेध लगाते हुए एक समय में एकपत्नीत्व को व्यवहार में लाने, स्त्री को पति के द्वारा रखैल रखने, पति के भयंकर रोग से पीड़ित होने, नंपुसक होने एंव मानसिक व शारीरिक पीड़ा जैसी स्थितियों में तलाक, विधवा विवाह, पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्री को पुत्र के समान संपति का अधिकार, दत्तक पुत्र के समरुप दत्तक पुत्री को मान्यता देते हुए समान रुप से संपति का वारिस बनाने का समर्थन किया।

प्रारुप तैयार होने के बाद जब हिंदू कोड बिल संसदीय पटल पर चर्चा हेतु रखा गया तो प्रशंसा से अधिक इसकी भर्तसना की गई। राजेन्द्र प्रसाद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को सचेत किया कि हिंदू कानूनों में ये आधारभूत परिवर्तन एक 'अत्यंत छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग' के प्रगतिशील विचारों को पूरे हिंदू समाज पर थोपने के बराबर है। सिक्खों के प्रवक्ता सरदार हुकुम सिंह ने तो इसे सिक्ख समाज पर आघात करने का हिंदू समाज का एक षडयंत्र बताया।[13] हिंदू कोड बिल के विरोधियों को करारा जवाब देते हुए अंबेडकर ने कहा "हिंदू संहिता सारे हिंदुस्तान में समान रुप से लागू कि जाएगी। सिक्ख, बुद्ध एंव जैन जैसे लोगों के बारे में हिंदू संहिता लागू करना एक ऐतिहासिक परिणिति है जिसका विरोध करना उचित नहीं है"।[14] अंबेडकर ने विपक्षियों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास तो किया किंतु धर्म के नाम पर ये सामाजिक प्रगतिवादी विधेयक के विरोध में टस से मस नहीं हुए और इस कदर हावी हुए की यह बिल समग्रता से नहीं अपितु खण्डों में पारित किया गया। हिंदू कोड बिल के साथ हुए दुर्व्यवहार पर अंबेडकर ने कहा "चार वर्ष की आयु के बाद इसकी हत्या कर दी गई और उसके चार प्रावधानों को पारित कर देने के बाद उसकी मौत पर न तो कोई रोया, न गाया"।[15] अतः अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया।

यद्यपि अंबेडकर का यह बलिदान व्यर्थ न गया और उनकी मुत्यु से महज़ चंद रोज़ पूर्व ही सरकार ने संपत्ति के अधिकार से जुड़े हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को पारित कर प्रगतिशील कदम तो उठाया किंतु लैंगिक असमानता को बरकरार रखते हुए। लैंगिक भेदभावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधित) में बदलाव लाकर चल–अचल पैतृक संपत्ति में पुत्री को पुत्र के बराबर हिस्सेदार बनाया। सयुंक्त परिवार में बेटी अब एक बेटे की तरह सयुंक्त संपत्ति में जन्म से ही समान उत्तराधिकार है।

उपसंहार

अतः अंबेडकर ने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के प्रति जो भी समाधान रखे उन्हें एक–एक कर भारतीय सरकार अपनाकर अपनी उपलब्धियों में वृद्धि तो करती जा रही है किंतु उनमें अंबेडकर नदारद हैं। अंबेडकर ने जिस समतामूलक समाज की कल्पना की थी। स्वतंत्रता के छः दशक बाद भी उसकी छवि धुधंली सी प्रतीत होती है। दिन–प्रतिदिन महिलाओं को बलात्कार, यौन उत्पीड़न, निर्धनता, निरक्षरता जैसी समस्याओं से रुबरु होना पड़ता है। निर्भया मुद्दे को शायद ही कोई महिला अपने जहन से निकाल पाये। अतः सामाजिक सुधार के अधूरे रह गये अंबेडकर के सपने को उनके विचारों का सही एवं प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन कर पूरा किया जा सकता है तभी नारी को समाज में वाज़िब हिस्सा मिलेगा जिसकी वह यर्थाथ में हक़दार है।

संदर्भ

1. जाटव, डी. आर., 2004, *डॉ. अंबेडकरः एक प्रखर विद्रोही,* ।ठब्ब प्रकाशन, जयपुर, पृ. 35।
2. *अंबेडकर का सपना,* उनामीउंदें.इसवहेचवज. पद/2013/07/इसवह–चवण
3. अंबेडकर भीमराव., *हिंदू नारी का उत्थान और पतन,* 2009, गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, पृ. 15।
4. अंबेडकर बाबासाहेब., 2013 (तृतीय संस्करण), क्रांति और *प्रतिक्रांति* : बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स आदि में *नारी एंव प्रतिक्रांति,* संपूर्ण वाड्मय, खंड–7, डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, पृ. 335–336।
5. अंबेडकर भीमराव., 2009, *हिंदू नारी का उत्थान और पतन,* गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, पृ. 14।
6. चौधरी आभालता., 2010, *नारी स्वतंत्रता और डॉ अंबेडकर* में एस. विक्रम, दलित महिलाएँः इतिहास वर्तमान और भविष्य (संपादित), नटराज प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 168।
7. अंबेडकर भीमराव., 2009, *हिंदू नारी का उत्थान और पतन,* गौतम बुक सेंटर, दिल्ली,पृ. 14।
8. चौधरी आभालता., 2010, *नारी स्वतंत्रता और डॉ अंबेडकर* में एस. विक्रम, दलित महिलाएँः इतिहास वर्तमान और भविष्य (संपादित), नटराज प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 167।
9. *अंबेडकर का सपना,* उनामीउंदें.इसवहेचवज. पद/2013/07/इसवह–चव.
10. सुमन, मंजू., 2004, *दलित महिलाएँ,* सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 42।
11. पुरे मंजू चंद्रिका., 2010, *स्त्रियों के उत्थान में अंबेडकर का योगदान,* में एस. विक्रम, दलित महिलाएँः इतिहास वर्तमान और भविष्य (संपादित), नटराज प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 142।
12. भारती अनिता., 2010, *दलित एंव गैर–दलित स्त्री आंदोलन डॉ. अंबेडकर का स्त्रीचिंतन,* में एस. विक्रम, दलित महिलाएँः इतिहास वर्तमान और भविष्य (संपादित), नटराज प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 56।
13. मेघवाल कुसुम., 2008, *हिंदू कोड बिल और डॉ. अंबेडकर, तेज सिंह* (संपादित), अंबेडकरवादी विचारधारा और समाज, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 228–232।
14. कीर धनंजय, 1996, *डॉ. बाबा साहिब अंबेडकर जीवन चरित* (अनुवादित गजानन सुर्वे), पॉप्युलर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 396–397।
15. रतू नानकचंद., 2005, *डॉ. अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष* (अनुवादित शीलप्रिय बौद्ध), सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 31।